Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (No. 2) Bill, 1974, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 29th April, 1974.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

## REFERENCE TO PRESENCE OF FOREIGN MATTER IN LIMCA

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मै एक विशेष महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व, पाच-सात दिन पहले लोक सभा में भी यह बात सामने आई थी कि यहा पर जो पेय पदार्थ हैं 'लिम्का' उसकी बोतल में जो दुनिया भर की चीजे, मक्खियां और ऐसी दूसरी चीजें पाई गई उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

1 P.M. परन्तु आज तक पाच-सात दिन हो गये सरकार की ओर से कोई बयान नही आया और आज—ही यह दिखाने की बात तो नही, लेकिन मेरे पास भी एक बोतल आयी है और उसमे भी दुनिया भर की चीजे हैं। यह मेरे पास है, यह रही।

**श्री उपसभापति** : मैने देखी है।

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी:** लेकिन मै इ बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से सदस्यों की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है तो सरकार कम से कम यह तो बतलाये कि इस सबंध में क्या किया जा रहा है क्योकि यह मामला जनता के स्वास्थ्य से संबंध रखता है। सरकार ने क्या स्टेप लिये यह उनको बताना चाहिये। यह भी हो सकता है कि इस कम्पनी को बदनाम करने के लिये इस प्रकार की बोतलें ला कर कुछ लोग सदस्यों को दे रहे हो। यह भी सम्भव है, लेकिन कम्पनी की ओर से या सरकार की ओर से इस की जांच होनी चाहिये कि इस में सत्यता कितनी है और कितनी नही। अन्यथा इसमें दो चीजे है। एक तो यह कि इससे जनता के स्वास्थ्य के लिये खतरा हो सकता है, और इसलिये मैं चाहूंगा कि पहले तो सरकार इस बारे मे स्टेटमेंट दे।

**श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : मै माननीय सदस्य से पूछता हू कि यह बतलाइये कि यह बोतल आपको कब मिली, किसने आप को दी और आपने कहां पायी ?

**श्री उपसभापति** यह खुद लिये थे।

**श्री राजनारायण** आप नियम देख लीजिये, उन के अनुसार एक मेम्बर दूसरे मेम्बर से सवाल पूछ सकता है। तो मै सवाल पूछ रहा हूं कि कि यह बोतल उनको कब मिली, यह उन्होंने कहां पायी और कैसे पायी ? यह मेरा जायज सवाल है।

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी** : आपने प्रश्न किया है। यह बोतल कल शाम को मेरे पास आयी और आज सुबह ही साढे दस बजे इस को लेकर मै चेयरमैन महोदय की सेवा मे उपस्थित हुआ था कि यह स्थिति इस बारे में है। उन्होंने मुझे यह प्रश्न उठाने की यहां पर अनुमति दी।

## REFERENCE TO ALLEGED POLICE ATROCITIES ON STUDENTS IN GUJARAT

**श्री भैरों सिंह शेखावत** (मध्य प्रदेश) : गुजरात के आन्दोलन के सदर्भ मे नवनिर्माण समिति के छात्रो ने बलसार जिले मे विधायकों से त्याग पत्र की मांग की तो उन विधायकों की ओर से विद्यार्थियो को कहा गया कि 3 मार्च, 1974 को बलसार जिले में पारडी में इकठ्ठा हो जाओ। वहा उन के सारे समर्थक लोग होगे और उनकी सलाह लेने के बाद इस्तीफा दे दिया जायेगा। इस कार्यक्रम की रेडियो से घोषणा भी की गयी और साथ ही श्रीमती इंदिरा गाधी के नाम पर परचे छपवा कर उन में लिखा गया कि धर्म युद्ध में चलो। उस के बाद पारडी रैली में वह लोग गये। उन के समर्थक भी उस रैली में थे और जब उत्तम भाई एम० एल० ए० वहां के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो विद्यार्थियो ने फिर इस बात की मांग की कि वह अपना त्याग पत्र दे। इस मांग पर दोनो पक्षों के बीच नारे बाजी हुई। पुलिस बीच में पड़ी और पुलिस ने वहां फिर विद्यार्थियो पर लाठी प्रहार किया। उस लाठी प्रहार के कारण वह फिर इधर उधर हो गये और उनमें से थोड़े से विद्यार्थी एक कोने में आ गये और उनको उन एम० एल० ए० महोदय के समर्थको ने दबा लिया। उसके बाद जब वे भाग कर एक झोंपड़ी में घुस गये तो उस झोपड़ी मे आग लगा दी गयी। जब वे झोंपड़ी

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

से बाहर निकल कर चले तो बरछो और भाले से उन पर वार किये गये और इस में दो विद्यार्थी वहीं मर गये और एक विद्यार्थी बहुत घायल अवस्था में पड़ा रहा जिसको वह मृत समझ कर छोड़ कर चले गये थे। इस घटना के बाद उपसभापति जी पुलिस के थानेदार की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और उस रिपोर्ट के आखिरी पैरा मे लिखा है कि :

"Some people, from among M.L.A. Uttambhai, his above-mentioned colleagues and about 12,000 persons who had come for the rally, have murdered the two persons."

इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद आज तक एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है इस कारण से सारे जिले भर के लोग अब एकत्र हो कर एक संघर्ष करने की तैयारी वहां कर रहे है और मेरी सूचना के अनुसार यदि सरकार ने इस संबंध मे कोई कार्यवाही नही की तो एक मई से वहां फिर आन्दोलन चलेगा और वहां की स्थिति फिर खराब होगी। अतः इस ओर मैं माननीय उपमंत्री संसदीय विभाग के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहा यह स्थिति है। एक सेकिंड में मैं आप को उन विद्यार्थियो के बारे मे बताना चाहता हूं कि उन मे एक तो एल० एल० बी० का स्टूडेंट था और दूसरा एम० ए० का स्टूडेंट था और आप देखें कि उन को किस तरह से मारा गया है।

**श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : यह तो मेशनिग हो गयी, अब इस पर क्या होगा। अगर माननीय सदस्य किसी मामले की व्यक्तिगत जानकारी रखते हों तो सदन के दूसरे सदस्य भी उनसे उस बारे मे सवाल कर सकते है। मेशनिग की स्थिति यही रही है। अगर माननीय सदस्यों के अधिकारो को दिन प्रति दिन इस प्रकार से सीमित किया जायेगा तो यह मेशनिग ही समाप्त हो जायेगी।

**श्री उपसभापति** : आप चाहे तो आप भी इस के बारे मे परमीशन ले सकते हैं। You cannot ask any question, I am very sorry.

**श्री राजनारायण** : ललित नारायण मिश्र ने कम्युनिस्ट पार्टी को 3 लाख रुपये दे कर कम्यूनिस्टों से जवाबी प्रदर्शन कराने की साजिश की है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Everything will go off the record if you continue speaking.

## REFERENCE TO ALLEGED OVER-CHARGING BY THE DDA FOR THEIR FLATS

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : I wish to bring to the notice of the Government, particularly Shri Om Mehta who is the Minister in charge of Works and Housing, the question of overcharging of their flats by the DDA. According to my understanding the DDA is expected to sell the flats to the low income and middle income group people on the basis of no profit no loss. But according to the information available with me the DDA has misled the Ministry of Works and Housing and the latter the Lok Sabha by inflating the cost of the flat to Rs. 24,24, while the actual cost of construction is only Rs. 21,900. This information was given by the Government in the Lok Sabha on the 13th November, 1972.

Then there is another most disturbing thing, the question of annual lease. There is no justification for an annual lease of 2-1/2 per cent as premium on land; that is Rs. 5500 is to be charged from those who have purchased flats from the DDA. Only a nominal lease of Re. 1 should be charged as is being done in the case of evacuee property being disposed of by the Government. I would therefore request the Government, particularly Mr. Om Mehta, to kindly order a thorough enquiry into the above matter and review the price charged by the Delhi Development Authority from the public and ensure that the excess charged from people is refunded to the concerned people.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA) : There is only one point I want to bring to the notice of the hon. Member that it is only in the case of economically weaker sections or low income group